HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Application No. 69/2023

Syed Zainul Abedin Alias Mahmood Miya S/o Late Syed Fakruddin,

----Petitioner

Versus

Abdul Rashid Alias Chand S/o Shri Abdullah Khan,

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Application No. 149/2023

Rajasthan Board Of Muslim Waqf

----Petitioner

Versus

Syed Zainul Abidin Alias Mahmood Miyan S/o Marhoom Syed Fakhurddin Sahab

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R. K. Daga, Adv. Mr. Pankaj Soni, Adv. Mr. Anjneya Sharma, Adv. Mr. M. L. Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. R K Agarwal, Sr. Adv. With Mr. Adhiraj Modi, Adv. Mr. Rajesh Kumar Sharma, Adv. with Ms. Kamini Pareek, Adv. & Mr. Sarthak Choubey, Adv. Mr. Junaid Khan, Adv. Mr. Asgar Khan, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

15/09/2025

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से विद्वान जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर, प्रथम द्वारा दीवानी वाद (प्रशासन पत्र) संख्या 7819/2014 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अयाची की ओर से न्यायिक दृष्टांत अनिल शर्मा बनाम श्रीमती ममता शर्मा (2008) 0 सुप्रीम (राज0) 1528 पर आधारित होते हुए

निवेदन किया कि न्यायिक न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि है, अतः अभिलेख पर लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस निर्णय का क्या प्रभाव होगा, इस संबंध में अपना पक्ष याचिका में बहस के समय रखेंगे।

इस निर्णय की सुसंगतता तथा वर्तमान मामले पर उसका क्या प्रभाव है, इस बिन्दु पर बहस अपील के समय दोनों पक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे और इस स्वतंत्रता के साथ उपरोक्त दस्तावेज रिकोर्ड पर लिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से आज बहस हेतु एक अवसर चाहा, अयाची की आपत्ति है। न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। पूर्व में पारित अंतरिम आदेश मात्र आगामी पेशी तक विस्तारित किया जाता है तथा उस दिन आवश्यकतानुसार सभी पक्षों को सुनकर नये सिरे से अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जावेगा।

दोनों प्रकरण दिनांक 23.09.2025 को 2.30 पी.एम. पर न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किये जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /33-34